शा० सं० 595 गहलवारा

न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460506799
वाद संख्या:- 6799/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम गोमती पाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं0 1101
ग्राम गहलवारा
प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।
आदेश
अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं0 00218 की खसरा संख्या 595स का कुल रकबा 0.5060 हे0 में से विकीत रकबा 0.0092 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती गोमती पाल पत्नी रमेश चन्द्र पाल, निवासी तुलसी विहार, जलालपुर, राजाजीपुरम लखनऊ, उ0प्र0 नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
क्रमांक नं0-1537
दिनांक: तहसीलदार
सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

गाटा - 595 स

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460506798
वाद संख्या:- 6798/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राम बाबू शर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं0 1100

ग्राम गहलवारा

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी में अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय / मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त बाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00218 की खसरा संख्या 595स का कुल रकबा 0.5060 हे0 में से विकीत रकबा 0.0062 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री राम बाबू शर्मा पुत्र मिलान शर्मा निवासी मानिकपुर सफिपुर राजेपुर उन्नाव, उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

कमांक नं0-1536

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

गाटा - 595 स.

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460506797
वाद संख्या:- 6797/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम धनंजय
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं0 1099
ग्राम गहलवारा
प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/ मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।
आदेश
अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं0 00218 की खसरा संख्या 595स का कुल रकबा 0.5060 हे0 में से विकीत रकबा 0.0092 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री धनन्जय पुत्र राम सहाय, निवासी मिर्जापुर, उन्नाव, उ0प्र0 नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
क्रमांक नं0-1535
दिनांक: तहसीलदार
सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

गाटा - 595 छि

न्यायालय : - तहसीलदार,(न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460510063
वाद संख्या:- 10063/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम रीता सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं0-
ग्राम-गहलवारा
निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेष स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं0 00133 की गाटा सं0 595स रकबा 0.9440हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.0092हे0 मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती रीता सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह निवासी एमआईएस से0-12, राजाजीपुरम् लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

PM

Court Order Print

गाटा-595

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618548
वाद संख्या:- 18548/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सरबता
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- गहलवारापरगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00218 की खसरा सं० 595 स का कुल रकबा 0.5060 हे0 में से विकीत रकबा 0.0092 हे०, अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भांग मा०गु० 60ख से विक्रेता:- श्रीमती सस्बात्ता पत्नी राम भजन निवासी तुलसी विहार जलालपुर राजाजीपुरम लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनात्र्न्तगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 सं0मू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दप्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

गाटा-595

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,खुशहालगंज (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- जितेंद्र कुमार शर्मा
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2026104618548
वाद संख्या:- 18548/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सरबता
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम- गहलवारापरगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425-1430 फसली के खाता संख्या 00218 की खसरा सं० 595 स का कुल रकबा 0.5060 हे0 में से विकीत रकबा 0.0092 हे०, अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भांग मा०गु० 60ख से विक्रेताः- श्रीमती सस्बात्ता पत्नी राम भजन निवासी तुलसी विहार जलालपुर राजाजीपुरम लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनात्र्न्तगत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ नाम जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 सं0मू० अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दप्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

ग्राम-595

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460506798
वाद संख्या:- 6798/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राम बाबू शर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं0 1100

ग्राम गहलवारा

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी में अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय / मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त बाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00218 की खसरा संख्या 595स का कुल रकबा 0.5060 हे0 में से विकीत रकबा 0.0062 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री राम बाबू शर्मा पुत्र मिलान शर्मा निवासी मानिकपुर सफिपुर राजेपुर उन्नाव, उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 28.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

कमांक नं0-1536

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

गाटा -595

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बिजनौर (पी-3)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- वीरेन्द्र कुमार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460517630
वाद संख्या:- 17630/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम नीरज कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 03/06/2026

वाद सं0-

ग्राम-गहलवारा निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जो कि विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इष्तहार जारी किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी क्षेत्रीय लेखपाल बयान के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विक्रीत भूमि सीलिंग भूदान व पट्टे की नही है। जिससे यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99,के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। यह आदेश इस तथ्य के अधीन रहेगा कि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाष में आता है या भूमि किसी संस्था/बैंक में बन्धक/भारयुक्त पायी जाती है तो यह आदेष स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं0 00065 की खसरा सं० 595 रकबा 0.5430हे0 में से विकीत रकबा 0.4610हे0, विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री नीरज कुमार पुत्र होरीलाल निवासी गहलवारा लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री ंषहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण गोमतीनगर लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

ना0 तह0 बिजनौर(पी3)

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

Court Order Print

गाटा-595

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बिजनौर (पी-3)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- वीरेन्द्र कुमार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460517633
वाद संख्या:- 17633/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम रहमान
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 03/06/2026

वाद सं0-

ग्राम-गहलवारा निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जो कि विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इश्तहार जारी किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी क्षेत्रीय लेखपाल बयान के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विक्रीत भूमि सीलिंग भूदान व पट्टे की नही है। जिससे यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99,के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। यह आदेष इस तथ्य के अधीन रहेगा कि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाष में आता है या भूमि किसी संस्था/बैंक में बन्धक/भारयुक्त पायी जाती है तो यह आदेष स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं0 00119 की खसरा सं० 595सं रकबा 0.8770हे0 में से विकीत रकबा 0.6450हे0, विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री रहमान पुत्र हंसा निवासी गहलवारा काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री ंषहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण गोमतीनगर लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 20.04.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

ना0 तह0 बिजनौर(पी3)

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बिजनौर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अनूप कुमार श्रीवास्तव
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460519205
वाद संख्या:- 19205/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम शोभिता सक्सेना
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 12/06/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नही है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00222 गाटा संख्या 594 रकबा 0.3290 हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.0092 हे०, मा०गु० 60ख से विक्रेता श्रीमती शोभित सक्सेना पत्नी राजेश कुमार सक्सेना निवासी-फैजाबाद रोड, निकट गुप्ता आटा चक्की, शक्तिनगर, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2026 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बिजनौर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अनूप कुमार श्रीवास्तव
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460519533
वाद संख्या:- 19533/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम सूरज पाल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 12/06/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2026 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा विक्रेता को क्रेता के पक्ष में कम्प्यूटरीकृत संख्या-202515701041071336 दिनांक 06.04.2026 को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ से अनुमति प्राप्त है तथा पत्रावली में विक्रय अनुमति पत्र संलग्न है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामातंरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00218 गाटा संख्या 595स रकबा 0.5060 हे0 में से रकबा 0.2150 हे0, गाटा संख्या 594 स रकबा 0.2530 हे0 में से रकबा 0.2530 हे०, कुल रकबा 0.7590 हे0 में से विक्रीत रकबा 0.4680 हे०, अपना सम्पूर्ण अंश मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री सूरज पाल पुत्र भगवानदीन निवासी-गहलवारा, काकोरी, लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2026 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"